न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी का नाम— रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर — 11/2019

खान मोहम्मद पुत्र अलादीनखां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी ग्राम भगासरां तहसील फतेहपुर जिला सीकर

वादी

बनाम

1. लियाकत खां पुत्र अलादीनखां
2. शोकत खां पुत्र अलादीन खां
3. तौफीक खां पुत्र अलादीन खां
4. जाकिर खां पुत्र अलादीन खां
5. नसरीन बानो पत्नी सलेमुदीनखां
6. फरमान पुत्र मो. आसिफ
7. फारूक हुसैन पुत्र सलेमुदीनखां
8. मोहम्मद आरिफ उर्फ मोहम्मद अतिक पुत्र सलेमुदीनखां
9. साबिर हुसैन पुत्र सलेमुदीनखां
10. अयूब अली पुत्र यासीन खां
11. इब्राहिम पुत्र असगर
12. खान मोहम्मद पुत्र यासीनखां
13. श्नजामुदीन पुत्र यासीन खां

समस्त जाति कायमखानी मुसलमान निवासीगण ग्राम भगासरां तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0

14. पटवारी, पटवार हल्का भींचरी तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
15. तहसीलदार महोदय फतेहपुर जिला सीकर राज0

प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता दुरुस्ती

उपस्थित अधिवक्ता

श्री महीपाल मूण्ड — वादी

श्री इमरान खान — प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः—27.02.2019

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम

उक्त खसरा के पुराने खसरा नम्बर 24/1, 62, 158, 207, 209 व 223 है। उक्त कृषि भूमियों के पूर्व खातेदार फूलखां के दो वारिस अलादीनखां व सलेमखां थे। मृतक फूलखां के लियाकत नाम का कोई पुत्र नहीं था जबकि लियाकत खातेदार फूलखां के पुत्र अलादीन खां का पुत्र है। इस प्रकार लियाकत मृतक फूलखां का पुत्र न होकर पुत्र का पुत्र है।

उक्त कृषि भूमियों के खातेदार फूल खां की मृत्यु होने पर विरासतन नामान्तकरण अलादीनखां व सलेमखां के नाम अंकित होना चाहिये था परन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने सहवन से भूलवश अलादीनखां के स्थान पर उसके बड़े पुत्र लियाकत का नाम अंकित कर दिया तथा रिकार्ड में लियाकत को फूल खां का पुत्र अंकित कर दिया।

फूलखां की मृत्यु पर विरासतन नामान्तकरण में गलत रूप से 1/2 हिस्से का खाता प्रतिवादी संख्या एक लियाकत पुत्र फूलखां के नाम अंकित कर दिया जबकि उक्त 1/2 हिस्सा अलादीनखां पुत्र फूलखां के नाम अंकित होना चाहिये था तथा अलादीनखां की मृत्यु होने पर विरासतन नामान्तकरण वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम होना चाहिये था। इसलिये वादी उक्त कृषि भूमियों में खातेदार लियाकत पुत्र फूलखां के स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को खातेदार अंकित करवाने का अधिकारी है।

पूर्व खातेदार स्व0 फूल खां के 1/2 हिस्से के वारिस वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 है इसलिये भी उक्त कृषि भूमियों की खातेदारी में लियाकत पुत्र फूलखां के स्थान पर दुरुस्त कर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को समान रूप से खातेदार अंकित किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या एक व अन्य प्रतिवादीगण को वादी द्वारा कई मर्तबा उक्त खाता में संशोधन बाबत कहा तो पहले तो आश्वासन देते रहे लेकिन दिनांक 09.01.2019 को स्पष्ट रूप से मना कर दिया इसलिये यह वाद लाना पड़ा यही वाद कारण है।

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत रूप से नामान्तरण अंकित होने व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के समान हित रखने के कारण पक्षकार बनाया गया है प्रतिवादी संख्या 5 ता 13 को सहखातेदार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वादी प्रतिवादी संख्या 5 ता 13 के विरूद्ध कोई सहायता नहीं चाहता है। प्रतिवादी संख्या 14 व 15 राजस्व अधिकारी व कर्मचारी होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि वाद पत्र की मद संख्या एक में अंकित ग्राम भगासरा तहसील फतेहपुर में अवस्थित कृषि भूमियां खसरा नम्बर 105 रकबा 4.0700 हैक्टयर, खसरा नम्बर 363 रकबा 0.2000है0, खसरा नम्बर 40 रकबा 2.4600है0, खसरा नम्बर 462 रकबा 2.0800है0, खसरा नम्बर 463 रकबा 0.1200 है0, खसरा नम्बर 497 रकबा 3.5700 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 12.5000है0 एवं खसरा नम्बर 466 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 467 रकबा 11.1000है0, खसरा नम्बर 505 रकबा 0.2200है0 कुल किता 3 कुल रकबा 11.3300 हैक्टयर के खातेदार लियाकत पुत्र फूलखां के नाम अंकित खातेदारी को निरस्त कर उसके स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को समान रूप से खातेदार काश्तकार उदघोषित कर तदनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को राजस्व प्रेलेखों में खातेदार अंकित किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद डिक्री किया जाकर ग्राम भगासरा तहसील फतेहपुर में अवस्थित कृषि भूमियां खसरा नम्बर 105 रकबा 4.0700 हैक्टयर, खसरा नम्बर 363 रकबा 0.2000है0, खसरा नम्बर 40 रकबा 2.4600है0, खसरा नम्बर 462 रकबा 2.0800है0, खसरा नम्बर 463 रकबा 0.1200 है0, खसरा नम्बर 497 रकबा 3.5700 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 12.5000है0 एवं खसरा नम्बर 466 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 467 रकबा 11.1000है0, खसरा नम्बर 505 रकबा 0.2200है0 कुल किता 3 कुल रकबा 11.3300 हैक्टयर के खातेदार लियाकत पुत्र फूलखां के नाम अंकित खातेदारी को निरस्त कर उसके स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को समान रूप से खातेदार काश्तकार उदघोषित कर तदनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को राजस्व प्रेलेखों में खातेदार अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करेगे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पर्चा डिकी जारी हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

निर्णय आज दिनांक 27.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर(सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)